

डिकी मुकदमा इब्तदाई
(ओ0 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम -हिण्डौन जिला करौली
इजलास

पीठारीन अधिकारी :-

हेमराज गूर्जर, R.A.S.

प्रकरण संख्या:-100/2011

दायर दिनांक:-22.06.2011

जीसीएमएस नं. 2011/00333

मोहरसिंह पुत्र छज्जु जाति माली निवासी ग्राम सूरौठ तहसील हिण्डौन जिला करौली

-----वादी

बनाग

1. बुद्धो पत्नि बृजलाल } जाति माली निवासी सूरौठ तह0 हिण्डौन
2. रेखा पुत्री बृजलाल }
3. प्रेमवती पुत्री छज्जु पत्नि अमरसिंह उर्फ पप्पु जाति माली निवासी ग्राम रसीदपुर
तहसील महूवा जिला दौसा
4. दी स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये लैण्ड होल्डर, तहसीलदार तहसील हिण्डौन जिला
करौली राज0।

-----प्रतिवादीगण-04

दावा बावत् तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा न0 100/2011

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे हाजिरी श्री सीताराम गुर्जर एडवोकेट मिन कानिव मुदई रूबरू प्रतिवादीगण हाजिरी श्री बनवारी गोस्वामी मिन जानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकी दी जाती है कि तकास्मा आराजी फाईनल डिकी किया जाकर बंटवारा स्कीम दिनांक 15.06.2023 स्वीकार कर निम्नानुसार पक्षकारान को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है

ग्राम सूरौठ तहसील हिण्डौन हाल तहसील सूरौठ

कं.सं.	पक्षकार	नाम खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा
1	वादी	मेहर सिंह पुत्र छज्जु जाति माली सा. देह खातेदार	2417/1	0.79 है0
2	प्रतिवादी	बुद्धो पत्नि बृजलाल हि0 1/2, रेखा पुत्री बृजलाल हि0 1/2 जाति माली सा. देह	2440 2417/2	0.37 है0 0.03 है0

तहसीलदार सूरौठ से प्राप्त बंटवारा स्कीम के साथ संलग्न नक्शा ट्रेस निर्णय एवं डिकी का ही एक भाग है। तहसीलदार सूरौठ को आदेश दिये जाते हैं कि उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड एवं राजस्व सीट में अमल दरामद करें। शेष इन्द्राज बदस्तुर रहेंगे। निर्णय व फाईनल डिकी की प्रति तहसीलदार सूरौठ को पालनार्थ भेजी जावे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 24-12-24 को यह डिकी जारी की गई।

(हेमराज गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन (जिला करौली)